रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

3 DEC 1982

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 1982/आश्विन 20, 1904
No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 12, 1982/ASVINA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982

संख्या: राजसहा/आ० अर्जन/1394.—यतः मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं 13सी है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-1-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 का (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री विष्णु सिंह पुत्र श्री शम्भु दयाल स्वय एवं मुख्तार आम कुसुम भट नागर एवं अन्य,
सी-1, स्टाफ क्वार्टर्स, जे०डी० कालेज, देहली (अन्तरक)

(2) श्रीमती मीना बड़ेर पत्नि श्री जी सी बड़ेर,
13 सी, न्यू कालोनी, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां

करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति स्थित प्लाट नं० 13 सी, न्यू कालोनी, जयपुर जो उप पंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 75 दिनांक 23-1-82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

Office of the I.A.C. Acquisition Range,

Central Revenue Building,
Jaipur

NOTICE UNDER SECTION 269D [1] OF THE INCOME TAX ACT, 1961 [43 OF 1961]

Jaipur, the 5th October, 1982

No. Rej/IAC(Acq.)/1394.—Whereas, I, Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot. No. 13-C situated at Jaipur, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registerting Officer at Jaipur on 23-1-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there of by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between, the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act,

1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269 C of the said Act hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Vishnu Singh, S/o Shri Shambu Dayal Self (Transferor) CPA holder of Kusum Bhatnagar and Others B-1, Staff Quarters, I. D. College, Delhi

(2) Smt. Meena Bader, W/o Shri G. C. Bader (Transferee) 13-C, New Colony, Jaipur.

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property situated at Plot No. 13-C, New Colony, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R., Jaipur vide No 75 dt. 23-1-82.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982

आदेश संख्या: राज/ सहा० आ अर्जन 1396—यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) अधीन, की तारीख 4-1-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 (ग) के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अमृत बाई पत्नि श्री अचलजी गांधी, आफिसर्स मेस के सामने पुराना पाली रोड जोधपुर (अन्तरक)

(2) श्री सोनाराम पुत्र हरजी विश्नोई, जोधपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आफिसर्स मेस के सामने, ओल्ड पाली रोड, जोधपुर पर स्थित 214 गज जमीन जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 44 दिनांक 4-1-82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 [43 OF 1961]

Jaipur, the 5th October, 1982

Ref. No. : Rej/IAC (Acq.)/1396.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B or the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agri. Land situated at Jodhpur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 4-1-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there of by more than fifteen porcent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between, the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act,

1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initicate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Amrit Bai, W/o Shri Achaluji Gandhi, (Transferor) In front of Officer's Mess, Old Pali Road, Jodhpur.

(2) Shri Sona Ram, S/o Harji Bishnoi, Jodhpur, (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein and are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 214 sq. yds. (free hold) situated in front of Officer's Mess, Old Pali Road, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jodhpur, vide No. 44 dated 4-1-82.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982

आदेश संख्या: राज० सहा०आ० अर्जन/1397—यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-1-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 का (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अमृत बाई पत्नि श्री अचलूजी गांधी, आफिसर्स मेस के सामने, ओल्ड पाली रोड, जोधपुर (अन्तरक)

(2) श्री पोकर राम पुत्र श्री खूजाराम, राहिया कीढानी, जोधपुर (अन्तरिती) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप;—

(क) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

214 वर्ग गज होल्ड भूमि स्थित आफिसर्स मेस के सामने, ओल्ड पाली रोड, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 43 दिनांक 4-1-82 पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित है।

NOTICE UNDER SECTION 269D [1] OF THE INCOME TAX ACT, 1961 [43 OF 1961]

Jaipur, the 5th October, 1982

Ref. No. : Rej/IAC (Acq.)/1397.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agri, Land situated at Jodhpur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registerting Officer at Jodhpur on 4-1-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there of by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between, the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act,

1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initicate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Amrit Bai W/o Shri Achaluji Gandhi, In front of Officer's Mess, Old Pali Road, Jodhpur. .....Transferror

(2) Shri Pokar Ram, S/o Shri Khoja Ram, Rahida Ki Dhani, Jodhpur. ...Transferee

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 214 sq. Yds. (free hold) situated in front of Officer's Mess Old Pali Road, Jodhpur and more fully described in the sale deed registerd by S. R., Jodhpur, vide No. 43 dated 4-1-1982.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982

आदेश संख्या : राज०/सहा० आ०अर्जन/1398.—यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4 जनवरी, 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11 वा) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्न लिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अमृत बाई पत्नि श्री अचलूजी गांधी, आफिसर्स मेस के सामने, ओल्ड पाली रोड, जोधपुर (अन्तरक)

(2) जोगा राम पुत्र श्री पत्ता राम, गुढा बिरलोई, जोधपुर (अन्तरिती) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील पर

30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

214 वर्ग गज फ्री होल्ड भूमि, स्थित आफिसर्स मेस के सामने, ओल्ड पाली रोड,जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 42 दिनांक 4-1-82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

NOTICE UNDER SECTION 269D [I] OF THE INCOME TAX ACT, 1961 [43 OF 1961]

Jaipur, the 5th October, 1982

Ref. No. : Rej/IAC (Acq.)/1398.—Whereas I Mohan Singh being the competent authority under Section 269A of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agri. Land situated at Jodhpur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the offlee of the Registerting Officer at Jodhpur on 4-1-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there of by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between, the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Amrit Bai, W/o Shri Achaluji Gandhi, in front of Officer's Mess, Old Pali Road, Jodhpur. ....Transferor

(2) Shri Joga Ram, S/o Panna Ram, Gurha Bishnoi, Jodhpur .....Transferee

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Land measuring 214 sq. yds. (free hold) situated in front of Officer's Mess, Old Pali Road, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jodhpur, vide No. 42 dated 4-1-82.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/1399.—यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० जमीन है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-1-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अमृत बाई, पत्नि श्री अचलजी गांधी, आफिसर्स मेस के सामने, ओल्ड पाली रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री झालाराम, पुत्र श्री गोगाराम, गुढा बिश्नोइ, जोधपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

214 वर्ग गज जमीन स्थित आफिसर्स मेस के सामने, ओल्ड पाली रोड, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 41 दिनांक 4 जनवरी, 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवरणित है।

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 [43 OF 1961]

Jaipur, the 5th October, 1982

Ref. No. : Rej/IAC (Acq.)/1399.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Agri. Land situated at Jodhpur, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur, on 4-1-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between, the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the India Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Amrit Bai, W/o Shri Achaluji Gandhi, In front of Officer's Mess, Old Pali Road, Jodhpur .....Transferor

(2) Shri Jhala Ram, S/o Shri Goga Ram, Gurha Bishnoi, Jodhpur .....Transferee

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Land measuring 214 sq. yds. (free hold) situated in front of Officer's Mess, Old Pali Road, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jodhpur, vide No. 41 dated 4-1-1982.

आयकर अधिनियम 1061 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982

आदेश संख्या . राज०/संह०भा० अर्जन/1400.—यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) प्लाट रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-1-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुमन जोशी पत्नि श्री नन्द किशोर जोशी, जोधपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती लक्ष्मी सिंघवी पत्नि श्री तख्तराज सिंघवी, 10-सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

500 वर्ग गज फ्रीहोल्ड प्लेण्ड, स्थित प्लाट नं० 86, चीरखर, मसूरिया चौपासनी रोड, जोधपुर जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 178 दिनांक 14-1-82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE UNDER SECTION 269D [1] OF THE INCOME TAX ACT, 1961 [43 OF 1961]

Jaipur, the 5th October, 1982

Ref .No. Rej/IAC (Acq.)/1400.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Jodhpur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 14-1-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there of by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax 1957 (7 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Suman Joshi, W/o Shri Kishore Joshi, Jodhpur. ..... Transferor

(2) Shrimati Laxmi Singhvi, W/o Shri Takhat Raj Singhvi, 10-C, Road, Sardarpura, Jodhpur. .....Transferee

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold land measuring 500 sq. yds. situated at Plot No. 86, Cheer Gar, Masuria, Chopasani Road, Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by S. R., Jodhpur, vide no. 178 dated 14-1-82.

MOHAN SINGH, Competent Authority

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982